Rs. 5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(150)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. R - 2163-III/14 /2014 निगरानी

1. बाबू पुत्र गज्जू यादव निवासी डिकोली तहसील व जिला टीकमगढ ....आवेदकगण

लखन सिंह - धाकड़ द्वारा आज दि. 18/07/14 को प्रस्तुत

18-7-14

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. मोहन
2. धनीराम
3. बैजनाथ पुत्रगण भैयन यादव
4. नत्थू पुत्र चन्ना यादव

निवासीगण डिकोली तहसील व जिला टीकमगढ

18/07/14 (Laxhan Singh Dhakad Adv.)

.... अनावेदकगण

<u>निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ के प्रकरण क्र. 65/12–13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.05.2014 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है :–</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

1. यहकि, विवदित भूमि सर्वे क.963 रकवा 1.829, सर्वे क.964 रकवा 0.57, सर्वे क.965 रकवा 0.109, सर्वे क.966 रकवा 1.951, सर्वे क. 1025 रकवा 0.522, सर्वे क.1043 रकवा 0.664, सर्वे क. 1046 रकवा 0.498, सर्वे क.1048 रकवा 0.251 कुल किता 8 कुल रकवा 5.881 हैक्टर स्थित ग्राम डिकोली चक.क.2, तहसील बडागांव जिला टीकमगढ है। विवादित भूमि के बटबारा हेतु आवेदन पत्र आवेदक व अन्य सहखातेदार द्वारा तहं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिस पर तह न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकरण दर्ज किया जा कर इश्तहार जारी किया गया , सह खातेदारों की सहमति ली गई, किसी पक्षकर की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । समस्त विधि प्रक्रियाओं का पालन किया जा कर तह. न्यायालय द्वारा विधिवत नामानंतरण पंजी क. 07 आदेश दिनांक 30/06/06 पारित किया गया । उक्त बटवारा आदेश की

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2163-तीन/2014 जिला टीकमगढ़

बाबू विरूद्ध मोहन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
05-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 65/निगरानी/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 29-05-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 05/3/19 सदस्य	